न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 33/2014/(2014/00007) जिला–नागौर

1. रिद्धकरण पुत्र पूसाराम जाट निवासी मायापुर तहसील परबतसर जिला नागौर।

---अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती हरकू देवी पत्नी रामकरण
2. किशनाराम पुत्र घीसूड़ी
   समस्त जाति जाट निवासीगण मायापुर तहसील परबतसर जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार।

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू–अभिलेख) परबतसर दिनांक 07–05–2012
प्रकरण संख्या 03/2011 बउनवान रिद्धकरण बनाम हरकू देवी वगैरह

उपस्थित– 1. श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री भियांराम चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2
3. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 3

निर्णय

दिनांकः–

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मायापुर तहसील परबतसर में स्थित संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 189, 190, 191, 193, 198/1, 199, 98 कुल किता–7 कुल रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अपीलार्थी का पिता पूसाराम पुत्र छोगा था। पूसाराम के स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 6–7–2007 को ग्राम पंचायत मायापुर ने अपीलार्थी, घीसूड़ी पत्नी नारायणराम, किशनाराम पुत्र घीसूड़ी व श्रीमति गोगा पुत्री पूसाराम के नाम स्वीकृत किया गया जबकि घीसूड़ी व किशनाराम स्व0 पूसाराम के वारिस नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत मायापुर ने उनके पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। उक्त गलत नामान्तरकरण के आधार पर विवादित भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 1

श्रीमती हरकू देवी पत्नी रामकरण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कर दिया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत मायापुर ने नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 4–8–2007 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 6–7–2007 एवं नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 4–8–2007 से व्यथित होकर उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष दो अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–3–2011 द्वारा दोनों अपीले स्वीकार कर विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 317 व 318 निरस्त कर नये सिरे से निस्तारण करने हेतु तहसीलदार परबतसर को रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार, परबतसर ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 15–3–2011 की पालना किये बिना ही तहसीलदार, परबतसर ने अपने आदेश दिनांक 7–5–2012 को विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 317, 318 को बहाल रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध जिला कलेक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से तहसीलदार, परबतसर के आदेश के विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, के निर्देशों के साथ निरस्त कर दी। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, परबतसर के निर्णय दिनांक 7–5–2012 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि तहसीलदार, परबतसर के निर्णय दिनांक 7–5–2012 के विरूद्ध अपीलार्थी ने अभिभाषक की गलत राय से सहवन से जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी थी जिसे उन्होंनें अपीलार्थी की अपील संधारण योग्य नहीं होना मानते हुए अपीलार्थी की अपील अपने आदेश दिनांक 25–3–2014 से खारिज कर तहसीलदार, परबतसर के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के आदेश पारित कर दिये। तत्पश्चात अधिवक्ता ने अपीलार्थी को तहसीलदार, परबतसर के निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की सलाह दी। अपीलार्थी दिनांक 16–4–2014 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर अविलम्ब जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम

आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर व प्रत्यर्थी अधिवक्ता /राजकीय अधिवक्ता की इस पर जवाबी बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि तहसीलदार, परबतसर ने विवादित नामान्तरकरण को यथावत रखने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने जिन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया उन निर्देशों की पालना नहीं की साथ ही उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने अपीलार्थी की दोनों अपीले स्वीकार कर विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 317 व 318 को निरस्त कर प्रकरण नये सिरे से जांच करने हेतु तहसीलदार परबतसर को प्रतिप्रेषित किया था। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के आदेश के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित होता हो कि वे खातेदार पूसाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस हो। तहसीलदार, परबतसर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा दिनांक 17–12–2007 को की गई जांच को आधार मानते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को पूसाराम का जायज वारिस मानने में कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, ने तहसीलदार को इस बिन्दु की जांच करने के आदेश दिये थे तो अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना की गई जांच को आधार मानकर तहसीलदार, परबतसर को विवादित नामान्तरकरण बहाल करने का कोई अधिकार नहीं था। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा की गई जांच न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है ना ही किसी वाद में उक्त जांच उनसे तलब की गई थी। ऐसी रिपोर्ट जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा पब्लिक दस्तावेज के विपरीत है, को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार, परबतसर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना की रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि श्रीमती घीसूड़ी एवं पूसाराम 40 वर्षो तक साथ–साथ रहे जिससे यही माना जायेगा कि ग्राम वासियों की नजर से वे पति पत्नी थे जिससे किशनाराम भी तभी पैदा हुआ। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार परबतसर का उनको पूसाराम का वारिस होना मानना हास्यास्पद है। जब घीसूड़ी खातेदार पूसाराम की विवाहित पत्नी नहीं थी तथा किशनाराम उसका जायन्दा पुत्र नहीं था तो प्रथम श्रेणी के वारिसान को नजरअन्दाज कर

बिना किसी आधार के केवल कयास पर प्रत्यर्थी संख्या 2 किशनाराम को पूसाराम का वारिस मानने में तहसीलदार, परबतसर ने कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि घीसूडी नारायणराम की पत्नी है तथा उसकी विधवा बनकर उपकोषागार परबतसर से पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से पेंशन प्राप्त कर रही है। मतदाता सूचि 1980 व 1988 में भी घीसूड़ी के पति का नाम नारायणराम अंकित है। उक्त दस्तावेज पब्लिक दस्तावेज है जिसका खण्डन प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा नहीं किया गया है। इसके बावजूद घीसूड़ी को अपीलार्थी के पिता पूसाराम का वारिस व उत्तराधिकारी मानकर कानूनी भूल की गई है। तहसीलदार, परबतसर ने विवादित नामान्तरकरण बहाल करने से पूर्व राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 119 से 121 की पालना नहीं की। विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने में ग्राम मायापुर के अध्यापक रामदीन का हाथ है जो भू–माफिया है। विरासत का विवादास्पद नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने के कुछ दिन बाद ही घीसूड़ी व किशनाराम ने गलत राजस्व रेकार्ड की आड़ में भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 1 को कर दिया जो कि घीसूड़ी के भाई की पत्नी है। उक्त विक्रय पत्र बिना कब्जे के किया गया था जैसा कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी के अलावा अन्य किसी का कब्जा काश्त नहीं है। नायब तहसीलदार, पीलवा के निर्देशानुसार भू.अ.निरीक्षक पीलवा की रिपोर्ट दिनांक 6–9–2007 की मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी का कब्जा बताया गया है। ग्राम पंचायत मायापुर ने बिना किसी प्रकार की जांच किये कब्जे रहित व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 318 गलत रूप से स्वीकृत किया था जिसको बहाल रखने में तहसीलदार, परबतसर ने कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार, परबतसर का आदेश में यह उल्लेख करना गलत है कि पूर्व में नारायण राम को लाऔलाद फौत बताकर विरासत का इन्तकाल पूसाराम के नाम जो भूमि दर्ज की गई थी उससे श्रीमती घीसूड़ी को वंचित कर दिया गया था तथा पूसाराम के स्वर्गवास के पश्चात अब उसे नारायण राम की विधवा बताकर पूसाराम की सम्पत्ति से वंचित किया जा रहा है, जो गलत है। तहसीलदार परबतसर उक्त आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने में गलत रहे है। तहसीलदार, परबतसर को केवल उपखण्ड अधिकारी के आदेश में दिये गये निर्देशों के तहत केवल पूसाराम की विरासत के इन्तकाल का निस्तारण करना था ना कि नारायण राम की विरासत के इन्तकाल का निस्तारण करना था। तहसीलदार, परबतसर ने उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के निर्णय में पारित आदेशों के विपरीत जाकर विवादास्पद आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर तहसीलदार, परबतसर के निर्णय दिनांक 7–5–2012 को निरस्त कर पूसाराम द्वारा धारित भूमि का विरासतन इन्तकाल अकेले अपीलार्थी के नाम स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि रिद्धकरण एक सेवा निवृत राजस्व अधिकारी है जो योजनाबद्ध तरीके से प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को पैतृक सम्पत्ति के हक से वंचित किया जा रहा है। यदि घीसूडी को नारायण राम की विधवा माना जाता है तो नारायण राम का हिस्सा उसके पति की मृत्यु के बाद उसका नाम आना चाहिए था लेकिन नारायण राम का हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 34 से नारायण राम को नाऔलाद फौत व बिना औरत बताकर पूसाराम के नाम दर्ज करा लिया। चूंकि श्रीमती घीसूड़ी उस समय पूसाराम के साथ नाता कर बतौर पत्नी रह रही थी इसलिए उस समय कोई विरोध नहीं किया गया। अब जब पूसाराम की विरासत दर्ज की जा रही है तो पूसाराम की विधवा नहीं माना जा रहा है। इस तरह घीसूड़ी को नारायण राम की विरासत से भी वंचित कर दिया गया एवं अब पूसाराम की विरासत में भी अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 को वंचित करना चाहता है। नारायण राम की एक पुत्री भंवरी थी उसको भी विरासत का हक नहीं दिया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत, मायापुर ने प्रत्यर्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरे अनुसार आधा हिस्से का हिस्सेदार माना है तो हमे आधे हिस्से पर खातेदारी दी जानी चाहिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा मौके पर विस्तृत जांच करने के बाद नामान्तरकरण संख्या 317 को प्रक्रिया अनुसार सही माना गया है एवं नामान्तरकरण संख्या 317 के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 318 भरा गया है। अतः दोनों ही नामान्तरकरण सही भरे गये है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 के राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि मृतक पूसाराम के वारिसान श्री रिद्धकरण पुत्र पूसाराम, गोगादेवी पुत्री पूसाराम, श्री किशनाराम पुत्र पूसाराम, घीसूडी बेवा पूसाराम के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 317 एवं नामान्तरकरण संख्या 318 जो घीसूडी एवं किशनाराम द्वारा श्रीमती हरकू देवी पत्नी रामकरण को किये गये बेचान के आधार पर ही तहसीलदार, परबतसर द्वारा स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मायापुर तहसील परबतसर में स्थित संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 189, 190, 191, 193, 198/1, 199, 98 कुल किता–7 कुल रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अपीलार्थी का पिता पूसाराम पुत्र छोगा था। छोगाराम के दो पुत्र थे पूसाराम व नारायण राम, नारायण राम नाऔलाद फौत हो गया व पूसाराम का भी स्वर्गवास हो गया। नारायणराम की शादी घीसूडी से हुई थी, नारायण राम के स्वर्गवास के बाद घीसूड़ी अजमेर दूलाराम नाम के व्यक्ति के नाते चली गई थी नाते जाने के बाद नारायणराम के स्वर्गवास के काफी समय बाद भंवरी पैदा हुई

भंवरी नारायण राम की जायन्दा औलाद नहीं है और ना ही पूसाराम की वारिस है। घीसूड़ी नारायणराम की विधवा बनकर उपकोषाधिकारी परबतसर से पेंशन प्राप्त कर रही है तथा 1980 व 1988 की वोटरलिस्ट में घीसूड़ी के पति के स्थान पर नारायणराम अंकित है। पूसाराम के दो ही सन्तान अपीलार्थी व उसकी बहन गोगा देवी है। नारायण राम की मृत्यु के बाद घीसूडी अजमेर नाते चली गई जिसके बाद भंवरी व किशनाराम का जन्म हुआ था और किसी भी प्रकार से उत्तराधिकारी पूसाराम पुत्र छोगाराम के नहीं है। पूसाराम की पुत्री गोगा देवी ने अपीलार्थी के पक्ष में हकत्याग भी कर दिया है जिससे सम्पूर्ण आराजियात अपीलार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बहस के दौरान ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है कि किशनाराम पूसाराम व घीसूडी का पुत्र है। घीसूड़ी अपने आपको पूसाराम की पत्नी मानती है तो वह नारायण राम की पेंशन किस आधार पर प्राप्त कर रही है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने आपको पूसाराम का पुत्र बताकर नामान्तरकरण संख्या 317 अपने नाम तस्दीक करवा लिया उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को विवादित आराजियात का बेचान कर दिया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत मायापुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 4–8–2007 स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरपंच ग्राम पंचायत, मायापुर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विवादित आराजियात के मूल खातेदार के वारिसान की जांच नहीं की गई तथा ना ही नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व बैठक आयोजित कर कोई प्रस्ताव ही पारित करवाया है। साथ ही तहसीलदार, परबतसर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना की रिपोर्ट दिनांक 17–12–2007 को आधार मानकर प्रत्यर्थी संख्या 2 को पूसाराम का वारिस माना है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के द्वारा की गई जांच न्यायिक प्रकिया का हिस्सा नहीं है और ना ही उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना से जांच रिपोर्ट ही तलब की गई है। उक्त जांच रिपोर्ट तहसीलदार, परबतसर में उक्त प्रकरण दर्ज होने से पूर्व की होने से इस प्रकरण में ग्राह्य नहीं है। जब घीसूड़ी को खातेदार पूसाराम की विवाहित पत्नी होने का कोई संबंध ही नहीं है तो किशनाराम उसका जायन्दा पुत्र कैसे हो सकता था। प्रथम श्रेणी के वारिसान को नजर अन्दाज कर बिना किसी आधार के प्रत्यर्थी संख्या 2 को पूसाराम का वारिस मानकर नामान्तरकरण उसके पक्ष में स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। भू–अभिलेख निरीक्षक पीलवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 6–9–2007 अनुसार विवादित आराजियात पर अपीलार्थी का कब्जा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–5–2012 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) परबतसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07—5—2012 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और तहसीलदार, परबतसर को आदेशित किया जाता है कि वे पूसाराम पुत्र छोगा द्वारा धारित भूमि का नये सिरे से विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही कर संबंधित मूल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर